"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 227]   रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 मई 2016— ज्येष्ठ 7, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-8/2012/एक (1). — छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आवश्यकता होने पर प्रतिवर्ष लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, कृषि विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, ऊर्जा विभाग एवं आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के विभिन्न श्रेणी के सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिये राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा नामक एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 6-8/2012/1/एक, दिनांक 5 नवम्बर, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

1. खण्ड (3) के उप-खण्ड (a) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

   "(a) प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) में वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो प्रश्न पत्र होंगे, जिनमें पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान एवं बुद्धिमता परीक्षण से संबंधित होगा एवं द्वितीय प्रश्न पत्र संबंधित विषय के होंगे. द्वितीय चरण में साक्षात्कार सम्पन्न होगा."

2. परिशिष्ट-"एक" परीक्षा योजना के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परिशिष्ट-"एक"

परीक्षा योजना

(1) यह संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा निम्नानुसार होगी :-

(एक) **प्रथम चरण-** राज्य अभियांत्रिकी सेवा प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) जिसके माध्यम से राज्य अभियांत्रिकी सेवा द्वितीय चरण (साक्षात्कार) हेतु उम्मीदवारों की अर्हता का निर्धारण किया जायेगा.

(दो) **द्वितीय चरण (साक्षात्कार)-** लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के अनुसार विभिन्न श्रेणियों की सेवाओं तथा पदों के लिये उम्मीदवारों का चयन अधिमान्यता के आधार पर किया जायेगा.

(2) (एक) प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) में वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के दो प्रश्न पत्र होंगे-

प्रथम प्रश्न पत्र :- इस प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान एवं बुद्धिमता परीक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे.

द्वितीय प्रश्न पत्र :- यह प्रश्न पत्र सिविल/यांत्रिक/विद्युत/इलेक्ट्रानिक/कम्प्यूटर साईंस/कृषि अभियांत्रिकी से संबंधित होंगे, जिनमें से किसी एक विषय में परीक्षा देनी होगी.

(दो) प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये पांच संभाव्य उत्तर होंगे, जिन्हें अ, ब, स, द और ई में समूहीकृत किया जायेगा, जिनमें से केवल एक उत्तर सही/निकटतम सही होगा. उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गये अ, ब, स, द या ई में से केवल एक पर चिन्ह लगाना होगा.

(तीन) ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है.

(3) लिखित परीक्षा :-

(एक) प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) में वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो प्रश्न पत्र निम्नानुसार होंगे :-

प्रश्न पत्र-I सामान्य अध्ययन

प्रश्नों की संख्या 150 2:30 घंटे अंक 300

प्रश्न पत्र-II अभियांत्रिकी (सिविल/यांत्रिक/विद्युत/इलेक्ट्रानिक/कम्प्यूटर साईंस/कृषि अभियांत्रिकी)

प्रश्नों की संख्या 150 2:30 घंटे अंक 300

(दो) प्रथम प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी में होगा तथा द्वितीय प्रश्न पत्र अंग्रेजी में होगा.

(तीन) लिखित परीक्षा के अन्तर्गत उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में अर्हकारी अंक केवल 30 प्रतिशत होंगे.

(4) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दी गई संबंधित अभियांत्रिकी विषय के रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुनी होगी. केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में अर्ह घोषित किया जायेगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे.

(5) **साक्षात्कार :-** साक्षात्कार के लिए 75 अंक होंगे (इसके लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं होंगे)."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.